

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सपोर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प बहादुरपुर

खण्ड अदालत अभियान-2017

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बहादुरपुर व भू.अ.नि. करीड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सपोर / नायब तहसीलदार करणपुर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बहादुरपुर तहसील सपोर व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्बन्धी खाना संख्या 1359/136 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
०५.	<u>बहादुरपुर</u>	1359/136	रामरतन, गोहन लाल, अमरलाल, लालपत पिं लालू जाति चमार	रामरतन, गोहनलाल, अमरलाल, लालपत पिं लालू जाति - चमार

Riy
पीठासीन पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत अदालत के द्वार
सपोर, जिला- बीकानेर एवं
पदेन सहा.कलक्टर,
दिनांक:- 18/5/17

क्रमांक:- सपोर/2017/44-46
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सपोर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामरतन गोहनलाल पिं लालू को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली। निवासी बहादुरपुर

Riy
पीठासीन पीठासीन अधिकारी (SDM)
राजस्व लोक अदालत अदालत के द्वार
सपोर, जिला- बीकानेर एवं

